

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2013/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 2013

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

विषय - पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को महंगाई भत्ते में वृद्धि।



राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन के पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को वेतन बैंड में वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग पर निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाये :-

**अध्यापक संवर्ग**


क्र.	अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
1.	दिनांक 01-07-2013(माह जुलाई, 2013 का वेतन जो माह अगस्त, 2013 में देय होगा)	90 %

**पंचायत सचिव संवर्ग**

क्र.	अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
1.	दिनांक 01-07-2013से 31-07-2013 तक	मूल वेतन का 204 % (पूर्व की 35% अतिरिक्त वृद्धि तथा महंगाई भत्ते को जोड़कर)
2.	दिनांक 01-08-2013(माह अगस्त, 2013 का वेतन जो माह सितम्बर, 2013 में देय होगा)	बैंड वेतन एवं संवर्ग वेतन का 90 %

3/ महंगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार  
  
(मिलिन्द वाईकर)


अपर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-1/2013/नियम/चार  
प्रतिलिपि

भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर, 2013

- 1 महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
- 2 आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 3 आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
- 4 आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल
- 5 आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
- 6 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 7 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 8 सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग